20-12-2022 [illegible]

20-12-2022 पत्रावली पेश हुई वादी-प्रतिवादी वकील उपस्थित पत्रावली वादी [illegible] 301-2023 को पेश हो।

30-1-2023 पत्रावली पेश हुई वादी-प्रतिवादी वकील उपस्थित पत्रावली वादी [illegible] 14-2-2023 को पेश हो।

14.2.23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। न्यायालय समय में नियमित अन्तराल पर बार-बार आवाजें लगवायी गयी। फिर भी न तो अधिवक्ता वादी उपस्थित आये और न ही पक्षकारान।

अतः पत्रावली का निस्तारण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 सी.पी.सी. अदम पैरवी, अदम हाजरी के तहत डिस्मिस कर किया जाता है।

पत्रावली के क्रम अनुसार हो नम्बर से कम [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner